Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 133/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00293
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.01.2025

1. रहीम खां पुत्र अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर
2. भरेखा पुत्र अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर
3. गफूरा पुत्र अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर
4. अलबुद्धीन पुत्र अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर
5. नबाब पुत्र अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर
6. नूरन पत्नि अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर
7. गफूरन पुत्री अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर
8. शकूरन पुत्री अजमेरी जाति तेली मुसलमान निवासी गांगरोली तहसील नदबई हाल आबाद लोहा खान नई बस्ती पीलीखान चौक अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. करनसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. तेजा पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवारी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. शिवराम पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. शिवसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

6. सन्ता पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. गोविन्दसिंह पुत्र भगवत जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. भगवानदई पत्नि हरवीर जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. राजवीर पुत्र हरवीर जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. सोनवीर पुत्र हरवीर जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. यदुवीरसिंह पुत्र उममेद जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
13. सब रजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री [illegible] एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मींद है।
2. यह कि विवादित आराजी 1309, 1311, 1312, 1307, 901, 1332, वाके ग्राम नाम तहसील नदबई में स्थित है। हाल ख.न. सैटलमेन्ट संवत 2060 में ख.न. 1468 रकवा 2 बीघा 13 वि. व 1466 रकवा 2 बीघा 16 वि. से व 1485 रकवा 1 बीघा 17 वि. से बनाये गये है। उक्त खसरा नम्बरान से सैटमेन्ट संवत 2028 के ख.न. 1102 के ख.न. 1102 रकवा 4 बीघा 6 वि., 1108 रकवा 4 बीघा 3वि. ,1125 रकवा 2 बीघा 4 वि. से निर्मित किये गये है।
3. यह है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता अजमेरी मौरोसीदार संवत 2009 में थें। तथा मौरोसीदार खातेदार की तरह खातेदार के हक कानूनी प्राप्त है।
4. यह है कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण के पिता अजमेरी मौरोसीदा संवत 2009 में थे। तथा मौरासीदार खातेदार की तरह खातेदार के हक कानूनी प्राप्त है तथा संवत 2028 तक प्रार्थीगण के पिता उक्त आराजीयात पर मौरोसीदार रहे है। तथा लगातार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के बाबा अपने परिवार सहित रहने के लिए अजमेर चले गये तो उक्त आराजीयात को अप्रार्थी स. 1 लगायत 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

के पिता जगन्नाथ व अप्रार्थी स. 7 व 8 लगायत 10 के बाबा गोविन्दसिंह व अप्रार्थी 11 के बाबा सोहनदास को काश्त पर दे गये। तथा लगातार अपनी आराजी को समय–समय पर देखते रहे लेकिन अप्रार्थी 1 लगायत 6 के पिता जगन्नाथ अप्रार्थी स. 8 लगायत 10 के बाबा व अप्रार्थी स. 7 गोविन्दसिंह व अप्रार्थी 11 के बाबा सोहनदास के मन में बदयांति आ गई तथा वक्त सैटिसमेन्ट संवत 20285 में सैटिलमेट कर्मचारियो से साजिस कर प्रार्थी के पिता अजमेरी के मौरोसीदार की आराजीयात को वक्त सैटिलमेट संवत 2028 में अपने नाम गैर खातेदार के इन्द्राजात कायम करा लिये तथा गैर खातेदार से खातेदारी अपने नाम करवा ली तथा ख. न. 1332 पर अप्रार्थी के नाम आज भी गैर खातेदार इन्द्राजात चल रहे है। जो प्रार्थी के मौरोसीदार इन्द्राज के मुकाबले काबलि कलमजन है। तथा उसके बाद जगन्नाथ मरने के बाद अप्रार्थी स. 1 लगा. 5 के नाम व अप्रार्थी स. 7 का हिस्सा अप्रार्थी 8 लगा. 10 के नाम सोहनदास का हिस्सा यदुवीर के नाम हाल इन्द्राजात खातेदारी अप्रार्थीगण गलत दर्ज चले आ रहे है। जबकि अप्रार्थी स. 1 लगायत 6 के बाबा जगन्नाथ व 8 लगा. 10 के बाबा भगवत व अप्रार्थी 7 के नाम सैटिलमेट कर्मचारियो द्वारा इन्द्राजात अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज चले आ रहे है। इसलिए आराजी में हो रहे हाल गलत इन्द्राजात को अप्रार्थी के नाम को कलमजन कर अपने आप को वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोख्झित करा पाने के अधिकारी है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकनकिया जावें।

5. यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि आराजी कि रिकॉर्ड व मौके कि यथा स्थिति बनाऐ रखे रहन बय मुपतकिल ना करने हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 लगायत 5, 11 की ओर से श्री रामकिशन पूनिया एवं अप्रार्थी स. 7 व 10 की और से श्री फूलसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेष अप्रार्थीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 10 की द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 3 लगायत 5, 11 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया अप्रार्थी स. 10 का जबाब प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में इस प्रकार है।

1. यह कि विवादित आराजीयात रिकॉर्ड से संबंधित है।
2. यह कि गैर सायलान की खातेदारी की खसरा नम्बर 1307 रकवा 0.71 हैक्टे. जिसका सवत 2028 का गत खसरा नम्बर 1466 रकवा 2 बी. 16 वि. से बना है, संवत 2028 से पूर्व का खसरा नम्बर गत 1102 का रकवा 4 बी. 8 वि. जिस पर गैर सायलान के पिता/ बाबा गोविन्द सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

का कब्जा काश्त होने के कारण संवत 2012 से पूर्व ही शिकमी काश्तकार दर्ज किये गये थे। जिसके इन्द्राजात जमाबंदी संवत 2011 व 2015 की जमाबंदी में बदस्तूर दर्ज किये तथा उक्त भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2016 से 2019 का कॉलम नं. 4 में अजमेरी के स्थान पर राजस्थान सरकार दर्ज कर दी गई। तथा गैर सायलान के पिता/बाबा गोविन्द सिंह की लगातार गैर खातेदार दर्ज किया गया । सायलान के पिता/बाबा अजमेरी उक्त आराजी व ग्राम नाम को पहले ही संबत 2011 से पूर्व ही छोड चुके थे। तथा उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये , उनका आराजी से कोई संबध व सरोकार आज तक कभी नहीं रहा। चूंकि भूमि कस्टोडियन की होने के कारण उक्त आराजी के गत खसरा नं. 1466 रकवा 2 बी. 16 विस्वा का पट्टा (सनद) गैर सायलान के पिता व बाबा गोविन्द सिंह को स्थाई आवंटन नियम 1963 के तहत कीमत 446 रूप्पये दिनांक 19.09.1992 को जमा कर पट्टा कलक्टर एवं मैनेजिंग ऑफीसर अलवर/भरतपुर द्वारा जारी किया गया तथा तभी से उनके नाम खातेदारी कें इन्द्राजात चले आ रहे है। अब गैर सायलान विरासतन उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त इन्द्राजातों को अब सायलान चैलेन्ज करने के अधिकारी नहीं है। तथा सायलान का यह कहना है कि सैटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलकर गैरखातेदारी के इन्द्राजात दर्ज करा लिये नितान्त गलत बेबूनियादी है। लिहाजा सायलान के पिता/बाबा अजमेरी के नाम पूर्व इन्द्राजात मौरोसी/खातेदारी धारा 63 आरटीए के तहत समाप्त हो गये।

3. यह है कि सायलान व उनके पिता/बाबा अजमेरी का आराजी से 70 वर्षों से अधिक समय से कोई संबध व सरोकार नहीं है और न ही तब से गांव में ही रहे तो उन्हें धमकी देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम नाम, नकल जमाबंदी खतोनी संवत 2023, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके ग्रम नाम, नकल भू प्रबन्घ विभाग संवत 2028, नकल जमाबंदी संवत 2011, 2015 , 2063 से 2066 वाके ग्राम नाम पेश किये गये।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओ कि बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का [illegible] तो पाया कि :–

1. <u>पृथमदृष्टया केस</u>– प्रार्थी [illegible] 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ [illegible] पत्र [illegible] आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित विवादित [illegible] 1311, 1312, 1307, 901, 1332, वाके ग्राम नाम तहसील नदबई में स्थित है। हाल ख.न. सैटलमेन्ट संवत 2060 में ख.न. 1468 रकवा 2 बीघा 13 वि. व 1466 रकवा 2 बीघा 16 वि. से व 1485 रकवा 1 बीघा 17 वि. से बनाये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested

ज़ी
20/1/25

है। उक्त खसरा नम्बरान से सैटमेन्ट संवत 2028 के ख.न. 1102 के ख.न. 1102 रकवा 4 बीघा 6 वि., 1108 रकवा 4 बीघा 3वि. ,1125 रकवा 2 बीघा 4 वि. से बने है। गैर सायलान की खातेदारी का खसरा नम्बर हाल 1307 रकवा 0.71 हैक्टे. जिसका सवत 2028 का गत खसरा नम्बर 1466 रकवा 2 बी. 16 वि. से बना है, संवत 2028 से पूर्व का खसरा नम्बर गत 1102 का रकवा 4 बी. 8 वि. जिस पर गैर सायलान के पिता/ बाबा गोविन्द सिंह का कब्जा काश्त है एंव संवत 2012 से पूर्व ही शिकमी काश्तकार दर्ज किये गये ,जिसके इन्द्राजात जमाबंदी संवत 2011 व 2015 की जमाबंदी में बदस्तूर दर्ज किये तथा उक्त भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत 2016 से 2019 का कॉलम नं. 4 में अजमेरी के स्थान पर राजस्थान सरकार दर्ज कर दी गई। तथा गैर सायलान के पिता/बाबा गोविन्द सिंह की लगातार गैर खातेदार दर्ज किया गया, सायलान के पिता/बाबा अजमेरी उक्त आराजी व ग्राम नाम को पहले ही संबत 2011 से पूर्व ही छोड चुके थे। विवादित भूमि कस्टोडियन की होने के कारण उक्त आराजी के गत खसरा नं. 1466 रकवा 2 बी. 16 विस्वा का पट्टा (सनद) गैर सायलान के पिता व बाबा गोविन्द सिंह को स्थाई आवंटन नियम 1963 के तहत कीमत 446 रूप्पये दिनांक 19.09.1992 को जमा कर पट्टा कलक्टर एवं मैनेजिंग ऑफीसर अलवर/भरतपुर द्वारा जारी किया गया जो कि गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से साबित है तथा तभी से उनके नाम खातेदारी कें इन्द्राजात चले आ रहे है। अब गैर सायलान विरासतन उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार काबिज है। सायल द्वारा बताया गया है कि सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा जो इन्द्राजात किये गये है वह गलत रू‍ से किये गये है चूकि विवादित आराजी लम्बे समय से अप्रार्थीगणो के नाम रही है। जो खातेदारी इन्द्रजात वो सही है अथवा नही यह तथ्य वाद पत्र में तनकीयात कायम कर दोनो पक्षकारो कि साक्ष्य लेकर मैरिट पर तय किया जावेगा। चूंकि अप्रार्थीगण लम्बे समय से खातेदार रहे है। इसलिए एक खातेदार को कानून स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो उनके खातेदारी अधिकारो का कुठारघात होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्थिति को देखते हुऐ जारीशुदा स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः प्राईमा... अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

2. **सुविधा का सतुलन** – मामला प्रथम दृष्टया अप्रार्थी... हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।
3. **अपूर्ण क्षति** – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थी... को पाबन्द किया जाता है अप्रार्थीगणो के खातेदारी अधिकारो का कुठार घात होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्राथीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम नाम तहसील नदबई पर जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 12.09.2018 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.1.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

20/1/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)

सहायक कलेक्टर नदबई

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज०

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:44:18 IST
Reason: SelfAttested